

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 367]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 दिसम्बर 2024—पौष 6, शक 1946

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2024

क्र. एफ 4-3-5-0001-2024-1-सत्रह (PHF) .—सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियम, 2020 के नियम 5 के साथ पठित आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 4 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (दो) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अधीन संचालित मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् के ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण हेतु आवेदन करने वाले निवासियों के लिए स्वैच्छिक आधार पर आधार के माध्यम से पहचान का सत्यापन एवं प्रमाणीकरण किया जाना अधिसूचित करती है.

No. F 4-3-5-0001-2024-1-XVII (PHF).—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of Section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) read with Rule 5 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020, the State Government, hereby, notifies the verification and authentication of identity through Aadhaar for residents applying voluntarily for registration through the online portal of the Madhya Pradesh Medical Council operated under the Public Health and Medical Education Department, Government of Madhya Pradesh.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश कुमार मौर्य, उपसचिव.